पत्र सं०–05/पी०–87/2023–225(5)स्वा०/स्वा०,

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
झारखण्ड, रांची।

राँची, दिनांक: 30.12.2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य योजना अन्तर्गत स्वास्थ्य निदेशालय, नामकुम, राँची के कार्यालय भवन के जीर्णोद्धार/मरम्मति की योजना हेतु कुल 40,92,800/–(चालीस लाख बानबे हजार आठ सौ) रुपए की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक–1142(5), दिनांक–31.10.2023 के आलोक में स्वास्थ्य निदेशालय, नामकुम, राँची के कार्यालय भवन के जीर्णोद्धार/मरम्मति की योजना हेतु कुल 40,92,800/–(चालीस लाख बानबे हजार आठ सौ) रुपए मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल संख्या–01, राँची के पत्रांक–4068/अनु० दिनांक–15.12.2023 द्वारा उक्त योजना हेतु 40,92,800/–(चालीस लाख बानबे हजार आठ सौ) रुपये की लागत पर तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है। जीर्णोद्धार/मरम्मति की योजना की तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, छोटानागपुर अंचल, राँची द्वारा प्रदान की गई है। उक्त प्राक्कलन अनुसूचित दर–2022 एवं डी०एस०आर०–2023 पर आधारित है।

3. प्राक्कलन में सन्निहित मदों की विवरणी निम्नवत है:–

SL.No.	Particular		Amount in Rs.
1	Renovation of Toilet, Canteen and Kitchen, Provision of Additional Toilet in 4th Floor in DIC Building at NHM Campus, Namkum, Ranchi		3434129.27
	Total (A)		3434129.27
	Add for GST @18% on	3434129.27	618143.00
	Total (B)		4052272.27
	Add Labour cess @ 1% of (B)	4052272.27	40523.00
	Grand Total		4092795.27
	Say Rs.		4092800.00

4. इस स्वीकृत राशि का आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जाएगा।

5. योजना का कार्यान्वयन कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल संख्या–01, राँची द्वारा कराया जाएगा।

(विश्वनाथ सिन्हा)
अवर सचिव।

(विद्यानन्द शर्मा पंकज)
संयुक्त सचिव।

(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

6. स्वीकृत की जा रही उपर्युक्त योजना का कार्यान्वयन सक्षम प्राधिकार द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023–24 में ई–निविदा के माध्यम से यथानियम सभी प्रक्रिया पूर्ण करते हुए सम्पन्न कराया जाएगा।

7. योजना हेतु व्यय का विकलन राज्य योजना बजट शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना –48–जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण–01–जिला स्तर पर विभिन्न अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य संस्थानों का भवन निर्माण, मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य (विपत्र कोड–20एस–4210–01–796–48–01–05–45) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में उपबंधित राशि से होगा।

8. इस योजना हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल सर्जन, राँची होंगे, जो डिपोजिट कार्य हेतु कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल संख्या–01, राँची को पुस्तांतरण द्वारा रेमिटेन्स शीर्ष–8782, स्थानीय जमा निधि–102 में चालान के माध्यम से राशि जमा करेंगें।

9. इसके नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, रांची होंगे।

10. योजना के कार्यकारी एजेंसी द्वारा प्रत्येक असैनिक एवं अभियन्त्रण मरम्मति कार्य कराने के पूर्व एवं उसके बाद उचित फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराकर उसे सत्यापन हेतु अभिलेख के रुप में रखा जाएगा।

11. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची एवं निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची मरम्मति कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे तथा नियमित रुप से विभाग को प्रतिवेदित करेंगे।

12. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561, दिनांक–17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन राँची कोषागार से की जाएगी।

13. व्यय किसी भी परिस्थिति में प्रशासनिक स्वीकृत राशि के अन्तर्गत किया जाएगा तथा योजना कार्य एकरारनामा में उल्लेखित अवधि के अन्दर पूर्ण किया जाएगा। एकरारनामा मानक शर्त्तो पर आधारित होगा तथा निविदा/एकरारनामा शर्त्तो में किसी प्रकार का उल्लंघन किए जाने पर त्वरित कार्रवाई की जायगी। दायित्त्वों का सृजन बिना सरकारी आदेश प्राप्त किए नहीं किया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार की लापरवाही के लिए योजना कार्यकारी एजेंसी के संबंधित अभियंता पूर्णरूपेण जिम्मेवार होंगे।

14. उक्त प्राक्कलन के अनुरूप योजना का क्रियान्वयन ई–निविदा के माध्यम से निर्माण योजना के कार्यकारी एजेंसी के द्वारा यह स्वीकृत्यादेश निर्गत किए जाने के 09 माह के भीतर संपन्न कराया जाएगा।

15. संबंधित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता योजना की वित्तीय/भौतिक समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरुप हो।

(विश्वनाथ सिन्हा)	(विद्यानन्द शर्मा पंकज)	(अरुण कुमार सिंह) 29.12.23
अवर सचिव	संयुक्त सचिव	अपर मुख्य सचिव
	225(5)स्वा, योजना 30.12.2023	

16. झारखण्ड वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/कार्यपालक अभियन्ता का दायित्त्व होगा।

17. पर्यवेक्षकीय अभियंताओं द्वारा नियमित रूप से कार्य का स्थल निरीक्षण किया जाएगा एवं स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति कार्य स्थल एवं मुख्यालय में रखी जाएगी।

18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रुप से महालेखाकार, झारखण्ड के साथ निश्चित रुप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

19. योजना का कार्यान्वयन झारखण्ड पी०डब्ल्यू०डी० कोड के सुसंगत नियमों के अनुरुप कराने की जिम्मेवारी कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल संख्या–01, राँची की होगी।

20. संबंधित कार्य एजेन्सी द्वारा योजना का प्रगति प्रतिवेदन (वित्तीय एवं भौतिक) प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक विभाग को ऑन–लाईन अवश्यमेव उपलब्ध कराया जाएगा।

21. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य, चिकितसा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

22. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

29.12.23

(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक– 225 (S) स्वा, योजना   राँची, दिनांकः 30.12.2023

प्रतिलिपिः–

1. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची।
2. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची
3. माननीय मंत्री के आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
4. भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल संख्या–01, राँची के संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियन्ता/सहायक अभियंता।
5. सिविल सर्जन, राँची।
6. कोषागार पदाधिकारी, राँची।
7. अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
8. प्रभारी पदाधिकारी, PMU कोषांग, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विश्वनाथ सिन्हा)	(विद्यानन्द शर्मा पंकज)	29.12.23 (अरुण कुमार सिंह)
अवर सचिव	संयुक्त सचिव	अपर मुख्य सचिव

225 (S) स्वा, योजना
30.12.2023